न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर जिला चित्तौडगढ

पीठासीन अधिकारी श्री पुनीत कुमार गेलड़ा (आर०ए०एस०)

प्रकरण संख्या : 21/2022
दायर दिनांक : 06/10/2022
निर्णय दिनांक : 06/06/2024

उनवान

1. भैरा उर्फ भैरूलाल पिता भग्गा जटिया निवासी रोहेड़ा तहसील मावली जिला उदयपुर

प्रार्थी

बनाम

1 भूमिधारी तहसीलदार, भूपालसागर

अप्रार्थी

राजस्व प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा–136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थिति : 1. श्री कन्हैयालाल माली, अधिवक्ता प्रार्थी

:: निर्णय ::

वकील प्रार्थी की और से एक प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा–136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत पेश किया जिसके संक्षिप्त में तथ्य निम्न प्रकार से है :

यह कि मुझ प्रार्थी की बाप–दादाओं की पुश्तैनी खातेदारी की कृषि आराजियात ग्राम ताणा पटवार हल्का ताणा तहसील भूपालसागर के खाता संच 373 में हाल आराजी सं. 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941 किता 9 रकबा 4.12 है. कृषि आराजियात प्रार्थी के नाम दर्ज रिकार्ड है तथा मैं प्रार्थी अपनी आराजियात पर काबिज हो काश्त कर रहा हूं। उक्त जमाबंदी में मुझ प्रार्थी के पिता का नाम भजा अंकित कर रखा है, जो गलत है। भजा के बजाय भग्गा अंकित होना चाहिये था, वजह सबूत हाल जमाबंदी की प्रमाणित नकल प्रार्थना पत्र संलग्न है।

यह कि प्रार्थना पत्र की कॉलम संख्या 1 में वर्णित आराजियात मुझ प्रार्थी के पिता भग्गा पिता चौखा जी के नाम पर खातेदारी में सम्वत् 2021 से 2024 तक की जमाबंदी में दर्ज रिकार्ड थी, जिसमें मुझ प्रार्थी के पिता का नाम भग्गा पिता चोखा जी के नाम से दर्ज थी। दिनांक 10.10.1975 को मुझ प्रार्थी के पिता की मृत्यु हो गई थी। बाद मृत्यु पटवाल हल्का ताणा द्वारा मेरे पिता की विरासत का नामान्तरण खोला गया, जो नामान्तरण संख्या 517 फैसल दिनांक 15.09.1977 को फैसल किया गा है। उक्त नामान्तरकरण में आराजियात भग्गा पिता चौखा के बजाय भैरा पिता भग्गा (नाबालिग बविलायत) यानि मुझ प्रार्थी के नाम नामान्तरण फैसल कर जमाबंदी में अंकन किया गया। उक्त नामान्तरकरण संख्या 517 में भी मुझ प्रार्थी के पिता का नाम भग्गा अंकित किया गया है। बाद नामान्तरकरण जमाबंदी सम्वत 2021 से 2024 में अंकन से भी साबित है लेकिन वक्त सेटलमेंट, सेटलमेंट कर्मचारियों द्वारा गलती से भैरा पिता भग्गा के बजाय भैरा

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर

पिता भजा दर्ज कर दिया, जो गलत है। वजह सबूत साबिक जमाबंदी सम्वत 2021 से 2024 तक की प्रमाणित नकल, विरासत नामान्तरकरण संख्या 517 की प्रमाणित नकल, मृत्यु प्रमाण पत्र की फोटो प्रति, मिलान खसरा एवं मिलान बंदोबस्त सम्वत् 2050 से 2051 तक की प्रमाणित नकल प्रार्थना पत्र के साथ पेश है। साबिक जमाबंदी, विरासत नामान्तरकरण संख्या 517, मृत्यु प्रमाण पत्र, मुझ प्रार्थी के आधार कार्ड, पहचान पत्र, बैंक पास बुक, परिवार राशन कार्ड, विद्युत बिजली बिल आदि प्रमाणित दस्तावेज में मुझ प्रार्थी के पिता का नाम भग्गा दर्ज रिकार्ड है। हाल खातेदारी आराजियात की जमाबंदी में मुझ प्रार्थी के पिता का नाम भजा दर्ज कर दिया गया है, जो गलत है। असल में मुझ प्रार्थी के पिता का नाम भग्गा ही है, जो मुझ प्रार्थी के समस्त दस्तावेजों से साबित है। इस कारण इन्द्राज दुरुस्ती का आदेश फरमा हाल जमाबंदी में मुझ प्रार्थी के पिता का नाम भजा के बजाय भग्गा अंकन किये जाने का प्रदान किया जावे।

अतः प्रार्थी नें प्रार्थना–पत्र पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थनापत्र की कॉलम सं. एक में वर्णित आराजिया में मुझ प्रार्थी के पिता का नाम राजस्व रेकर्ड में भजा के बजाय भग्गा दर्ज किये जाने का आदेश फरमावे।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को सम्मन जारी किये गए। बाद सम्मन तामिल अप्रार्थी तहसीलदार, भूपालसागर का जवाब पेश हुआ, जो कि शामिल पत्रावली है। वकील प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों का दोहरान कर राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के पिता का नाम भजा के बजाय भग्गा अंकित करने का आदेश जारी करने का निवेदन किया। वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में नामान्तरकरण पंजिका में प्रार्थी के पिता का नाम भगा पिता चोखा अंकित है, संलग्न जमाबंदी वर्ष 2021–2024 में प्रार्थी के पिता का नाम भगा पिता चोखा अंकित है, प्रार्थी द्वारा चाही गई दाद उक्त दस्तावेजों अनुसार प्रमाणित नहीं होती है।

हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया तथा प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों एवं साक्ष्यों, अप्रार्थी के जवाब एवं वकील प्रार्थी की बहस के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा–136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 का अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 06.06.2024 को लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(पुनीत कुमार गेलड़ा)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,
भूपालसागर

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर